निर्वाचक नामावली का 01 जनवरी, 2022 की अर्हता तिथि के आधार पर विशेष–संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2022
02 नवम्बर, 2022 को पूर्वान्ह 12:00 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हेतु सामग्री।

भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या–23/2021-ERS (Vol-II) दिनांक 03 अगस्त, 2021 द्वारा विधान सभा निर्वाचक नामावली का 01 जनवरी, 2022 की अर्हता तिथि के आधार पर निम्न प्रकार विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम नियत किया गया है:–

Pre- Revision activities (पुनरीक्षण पूर्व कार्यक्लॉप)		
1.	(i) Removal of all DSEs/multiple entries, logical errors etc, डीएससी, एकाधिक प्रविष्टियों एवं लॉजीकल इरर को हटाना (ii) H2H verification through BLOs बीएलओ द्वारा घर–घर जाकर सत्यापन (iii) Proper formation of sections; and अनुभागों का उचित गठन, एवं (iv) Rationalization of Polling stations मतदेय स्थलों का मानकीकरण	09.08.2021 (Monday) to 31.10.2021 (Sunday) **H2H Verification through BLOs** **01st September to 15th September, 2021**
Revision Activities (पुनरीक्षण कार्यक्लॉप)		
2.	**Publication of Integrated Draft electoral roll** **एकीकृत निर्वाचक नामावली का आलेख्य प्रकाशन**	**On 01.11.2021 (Monday)**
3.	**Period for filing claims & objections** **दावे एवं आपत्तियाँ प्रस्तुत करने की अवधि**	**01.11.2021 (Monday To** **30.11.2021 (Tuesday)**
4.	Special campaign dates विशेष अभियान की तिथियाँ	13.11.2021 (Saturday) 14.11.2021 (Sunday) 27.11.2021 (Saturday) 28.11.2021 (Sunday)
5.	Disposal of claims and objections दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण	By 20.12.2021 (Monday)
6.	**Final publication of electoral roll** **निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन**	**By 05.01.2022 (Wednesday)**

2– बीएलओ के द्वारा दिनांक 01 सितम्बर, 2021 से 15 सितम्बर, 2021 तक घर–घर जाँच और सत्यापन का कार्य सम्पादित किया गया। घर–घर जाँच और सत्यापन के दौरान Removal of all DSEs / multiple entries, logical errors आदि को हटाए जाने/सही करने के लिए नियमानुसार कार्यवाही करना।

3—Rationalization of Polling Stations:-

विधान सभा निर्वाचक नामावली का 01 जनवरी, 2022 की अर्हता तिथि के आधार पुनरीक्षण से पूर्व प्रारम्भिक तैयारियों के आलोक में मतदेय स्थलों के मानकीकरण (Rationalization) की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए पुनर्निधारण एवं मानकीकरण के संबंध में निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया गयाः—

I. किसी भी मतदाता को अपने आवास से मतदेय स्थल तक पहुँचनें के लिए 02 किमी0 से अधिक पैदल दूरी तय न करनी पड़े।

II. मतदेय स्थल तक पहुँचने के लिए किसी भी मतदाता को किसी जंगली एवं अत्यधिक दुर्गम पहाड़ी मार्ग से न गुजरना पड़े ।

III. मतदेय स्थल तक पहुँचनें के लिए किसी भी मतदाता को किसी भी प्रकार की प्राकृतिक बाधाओं यथा नदी, नालों आदि को पार करने का जोखिम न उठाना पड़े।

IV. 1200 से अधिक मतदाता वाले मतदेय स्थलों को विभाजित करना।

V. मतदेय स्थल के लिए चिन्हित किसी भी भवन में मतदेय स्थल के लिए निर्धारित कक्ष केवल भू—तल में स्थापित हो।

VI. मतदेय स्थल के चिन्हित भवन जीर्ण—शीर्ण अथवा क्षतिग्रस्त न हो।

VII. पुलिस स्टेशन, अस्पताल, मन्दिर और अन्य किसी भी धार्मिक स्थल पर मतदेय स्थल स्थापित नहीं किया जायेगा।

VIII. वर्तमान मतदेय स्थल भवन की 200 मीटर की परिधि के अन्तर्गत किसी राजनैतिक दल का कार्यालय स्थापित नहीं होना चाहिए।

IX. ग्रामीण क्षेत्र में एक भवन पर दो से अधिक एवं शहरी क्षेत्र में एक भवन पर चार से अधिक मतदेय स्थल स्थापित न हों।

X. यथा सम्भव मतदेय स्थल का क्षेत्र कम से कम 20 वर्गमीटर हो।

XI. स्थल कक्ष में प्रवेश एवं निकास के लिए यथा संभव अलग—अलग दरवाजे हों।

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर निम्न प्रकार उत्तराखण्ड राज्य की सभी 70 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के अन्तर्गत मतदेय स्थलों के पुनर्निधारण/संशोधन की कार्यवाही की गईः—

जनपद का नाम	आलेख्य प्रकाशन से पूर्व मतदेय स्थलों की कुल संख्या	02 किमी. से अधिक पैदल दूरी के कारण नए बनाए गए कुल मतदेय स्थल	किसी मतदेय स्थल पर मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक होने के कारण उसी मतदान क्षेत्र के अन्तर्गत्त बनाए गए नए मतदेय स्थल	किसी मतदेय स्थल पर मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक होने के कारण कुछ ग्राम, वार्ड, मुहल्ले (अनुभाग) आदि को उसी मतदान क्षेत्र के अन्तर्गत अन्य मतदेय स्थल में समाविष्ट/समायोजित करना।	एक ही भवन में एक से अधिक मतदेय स्थल स्थापित होने के कारण मतदाताओं की संख्या के आधार पर कतिपय मतदेय स्थलों को उसी भवन के अन्य मतदेय स्थल में समाविष्ट/समायोजित करना।	वर्तमान मतदेय स्थल भवन से संबंधित शिक्षण संस्थान के उच्चीकरण के फलस्वरूप मतदेय स्थल के नाम में परिवर्तन	वर्तमान मतदेय स्थल भवन के क्षतिग्रस्त होने, अथवा जीर्ण—शीर्ण होने के कारण उसी मतदान क्षेत्र के अन्तर्गत अन्य उपयुक्त शासकीय भवन में, भवन परिवर्तन	अन्तिम रूप से एकीकरण के उपरान्त मतदेय स्थलों की संख्या (2+3+4-6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01—उत्तरकाशी	536	0	3	0	0	6	0	539
02—चमोली	558	17	0	4	1	17	11	574
03—रूद्रप्रयाग	355	5	2	2	1	1	3	361
04—टिहरी गढ़वाल	927	24	5	4	5	5	24	951
05—देहरादून	1706	13	157	54	3	0	63	1873
06—हरिद्वार	1581	0	135	10	0	3	26	1716
07—पौड़ी गढ़वाल	899	18	27	13	0	14	15	944
08—पिथौरागढ़	586	13	0	10	0	0	8	599
09—बागेश्वर	370	1	5	1	0	1	7	376
10—अल्मोड़ा	876	34	2	8	1	0	10	911
11—चम्पावत	320	4	9	2	0	2	2	333
12—नैनीताल	930	6	69	40	0	2	34	1005
13—ऊधम सिंह नगर	1380	0	86	67	1	13	11	1465
(कुल योग)	**11024**	**135**	**500**	**215**	**12**	**64**	**214**	**11647**

3.1— मतदेय स्थलों के संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन प्रस्तावों का समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा नियमानुसार आलेख्य प्रकाशन करते हुए इसकी प्रति मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को भी उनके सुझाव/आपत्ति हेतु उपलब्ध कराई गई थी। सर्व साधारण की जानकारी के लिए मतदेय स्थलों की आलेख्य सूची सभी ERO/AERO कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर

सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित करने के साथ–साथ DEO एवं CEO वेबसाईट पर भी उपलब्ध कराई गयी। मतदेय स्थलों के आलेख्य प्रकाशन के सात दिन के पश्चात अंतिम प्रस्ताव आयोग के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया।

3.2– मतदेय स्थलों के संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन प्रस्तावों पर आयोग से दिनांक 05 अक्टूबर, 2021 को अनुमोदन प्राप्त हुआ और तदनुसार समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा इसका नियमानुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम–1951 की धारा–25 के अन्तर्गत अंतिम प्रकाशन किया गया। अंतिम रूप से प्रकाशित मतदेय स्थलों की सूची मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को उपलब्ध कराने के साथ–साथ सर्व साधारण की जानकारी के लिए **https://ceo.uk.gov.in** पर भी उपलब्ध है। इस प्रकार राज्य में अब विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार मतदेय स्थलों की **कुल संख्या–11,647 हो गई है।** अर्थात विगत की अपेक्षा कुल–635 मतदेय स्थल बढ़े हैं और 12 मतदेय स्थल समायोजित किए गए।

3.3– प्रत्येक मतदेय स्थल पर आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार AMF (Assured Minimum Facilities) सुनिश्चित करना :–

- **I.** **रैम्प**
- **II.** **पेयजल** की सुविधा
- **III.** **पर्याप्त फर्नीचर** की उपलब्धता
- **IV.** **प्रकाश हेतु विद्युत** व्यवस्था
- **V.** हेल्प डेस्क
- **VI.** उचित संकेतांक
- **VII.** **शौचालय** (महिला एवं पुरूषों के लिए अलग–अलग)
- **VIII.** **शेड (वर्षा एवं धूप आदि से बचाव के लिए)**

4–विधान सभा निर्वाचक नामावली का 01 जनवरी, 2022 की अर्हता तिथि के आधार पर आलेख्य प्रकाशन :–

आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विधान सभा निर्वाचक नामावली का 0**1 जनवरी, 2022 की अर्हता तिथि के आधार पर दिनांक 01 नवम्बर, 2021 को सभी मतदेय स्थलों, ERO/AERO कार्यालय तथा निर्वाचन कार्यालय में आलेख्य प्रकाशन किया जा चुका है।** आलेख्य निर्वाचक नामावली उल्लिखित सभी स्थानों पर सर्वसाधारण के अवलोकनार्थ उपलब्ध है। आलेख्य निर्वाचक नामावली निर्वाचन विभाग की विभागीय वेबसाईट **https://ceo.uk.gov.in** पर भी उपलब्ध है। आलेख्य निर्वाचक नामावली पूर्वोक्त सभी स्थानों पर दिनांक 30 नवम्बर, 2021 तक अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेगी।

- ✓ भारत के ऐसे नागरिक जो **दिनांक 01 जनवरी, 2022 को 18 वर्ष या** इससे अधिक की आयु पूर्ण कर रहे हैं, विधान सभा निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने के लिए **प्रारूप–6** पर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। **प्रारूप–6** के साथ अपने निवास एवं आयु से सम्बन्धित अभिलेख की प्रति एवं एक रंगीन फोटोग्राफ प्रारूप के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

✓ वर्तमान आलेख्य निर्वाचक नामावली में पंजीकृत यदि कोई निर्वाचक अब उस क्षेत्र का निवासी नहीं रह गया है या वह कहीं अन्यत्र शिफ्ट हो गया है अथवा स्थानान्तरित हो गया है या किसी निर्वाचक की मृत्यु हो चुकी है, तो उनका नाम निर्वाचक नामावली से हटाये जाने के लिए **प्रारूप–7** पर दावा/आक्षेप प्रस्तुत किया जा सकता है।

✓ वर्तमान आलेख्य निर्वाचक नामावली में जिन निर्वाचकों के नाम, अन्य विभिन्न विवरण या फोटोग्राफ आदि त्रुटिपूर्ण अथवा अशुद्ध है, उसे सही कराने के लिए **प्रारूप–8** पर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

✓ यदि कोई निर्वाचक उसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत एक बूथ से किसी दूसरे बूथ में शिफ्ट हो गया हो तो वह नये पते पर अपना निर्वाचक सम्बन्धी विवरण स्थानान्तरित करने के लिए **प्रारूप–8क** पर आवेदन कर सकता है।

5– दिनांक 01 नवम्बर, 2021 को, 01 जनवरी, 2021 की अर्हता तिथि के आधार पर प्रकाशित आलेख्य निर्वाचक नामावली में मतदाताओं का विवरण निम्न प्रकार है :–

01 जनवरी, 2021 की अर्हता तिथि पर दिनांक 15 जनवरी, 2021 को निर्वाचकों का विवरण						01 जनवरी, 2022 की अर्हता तिथि पर दिनांक 01 नवम्बर, 2021 को आलेख्य निर्वाचकों का विवरण				
जनपद का नाम	पुरूष	महिला	अन्य	योग	Elector Gender Ratio	पुरूष	महिला	अन्य	योग	Elector Gender Ratio
उत्तरकाशी	117034	110176	4	227214	941	117157	110217	3	227377	941
चमोली	150477	143701	9	294187	955	149748	143053	9	292810	955
रूद्रप्रयाग	93768	95118	1	188887	1014	92934	95149	1	188084	1024
टिहरी गढ़वाल	261203	246229	1	507433	943	261113	246030	1	507144	942
देहरादून	737182	657998	52	1395232	893	742798	665587	63	1408448	896
हरिद्वार	723619	631084	118	1354821	872	726297	634970	120	1361387	874
पौड़ी गढ़वाल	288741	274633	8	563382	951	288232	275043	10	563285	954
पिथौरागढ़	186709	186585	2	373296	999	185455	185252	2	370709	999
बागेश्वर	108590	105221	0	213811	969	108336	104808	0	213144	967
अल्मोड़ा	273017	260031	1	533049	952	272409	258853	1	531263	950
चम्पावत	103269	94103	0	197372	911	103386	93987	0	197373	909
नैनीताल	391983	357284	10	749277	911	394821	360447	11	755279	913
ऊधम सिंह नगर	638844	578360	27	1217231	905	644332	585335	30	1229697	908
योग–	**4074436**	**3740523**	**233**	**7815192**	**918**	**4087018**	**3758731**	**251**	**7846000**	**920**

उक्तानुसार दिनांक 15 जनवरी, 2021 से 12 अक्टूबर, 2021 के मध्य उत्तराखण्ड राज्य में 30,808 मतदाताओं की शुद्ध वृद्धि हुई है। प्रतिहजार पुरूषों के सापेक्ष महिला लिंगानुपात में भी वृद्धि हुई है।

6— दिनांक 15 जनवरी, 2021 को गत अंतिम प्रकाशन के पश्चात जनपदवार परिवर्धन एवं अपमार्जन का विवरणः—

जनपद का नाम	**Gender Ratio**			दिनांक 15 जनवरी, 2021 से 12 अक्टूबर 2021 तक **Addition** किए मतदाताओं का विवरण				दिनांक 15 जनवरी, 2021 से 12 अक्टूबर 2021 तक विभिन्न कारणों से **Delete** किए मतदाताओं का विवरण				दिनांक 15 जनवरी, 2021 से 12 अक्टूबर, 2021 तक तक संशोधन (Correction) की कुल संख्या	आलेख्य प्रकाशन पर दिनांक 01 नवम्बर, 2021 को (अर्हता तिथि 01.01.2022 के आधार पर) सर्विस मतदाताओं का विवरण		
	Census	**Elector**	**GAP**	पुरूष	महिला	अन्य	योग	पुरूष	महिला	अन्य	योग		पुरूष	महिला	योग
उत्तरकाशी	958	941	17	905	1032	0	1937	782	991	1	1774	881	3338	61	3399
चमोली	1019	955	64	2651	3532	1	6184	3380	4180	1	7561	3227	10240	158	10398
रूद्रप्रयाग	1114	1024	90	940	1172	0	2112	1774	1141	0	2915	1153	5331	54	5385
टिहरी गढ़वाल	1077	942	135	3651	4321	0	7972	3741	4520	0	8261	3440	5722	69	5791
देहरादून	902	896	6	13723	14718	12	28453	8107	7129	1	15237	8140	9348	457	9805
हरिद्वार	880	874	6	12250	14270	3	26523	9572	10384	1	19957	10143	2037	127	2164
पौड़ी गढ़वाल	1103	954	149	3452	3609	2	7063	3961	3199	0	7160	3194	15908	255	16163
पिथौरागढ़	1020	999	21	2832	3010	0	5842	4086	4343	0	8429	2508	14146	399	14545
बागेश्वर	1090	967	123	1583	1799	0	3382	1837	2212	0	4049	2302	4491	110	4601
अल्मोड़ा	1139	950	189	4101	4426	0	8527	4709	5604	0	10313	4511	7005	213	7218
चम्पावत	980	909	71	1656	1757	0	3413	1539	1873	0	3412	1941	2947	111	3058
नैनीताल	934	913	21	5394	5853	1	11248	2556	2690	0	5246	2987	5212	266	5478
ऊधम सिंह नगर	920	908	12	8982	10650	3	19635	3494	3675	0	7169	6712	5690	283	5973
योग—	**953**	**920**	**33**	**62120**	**70149**	**22**	**132291**	**49538**	**51941**	**4**	**101483**	**51139**	**91415**	**2563**	**93978**

✓ पुनरीक्षण कार्य के सुव्यस्थित संचालन एवं सम्पादन के लिए आयोग द्वारा दोनों मण्डलों के मण्डलायुक्तों को निर्वाचक नामावली प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कम से कम तीन बार निम्नानुसार अपने मण्डल के सभी जनपदों का भ्रमण कर पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा एवं अनुश्रवण कर आयोग को समय—समय पर अपनी रिपोर्ट प्रेषित करेगें :—

1. **प्रथम भ्रमण** दावे/आपत्तियों को प्राप्त करने के समय अर्थात **दिनांक 01 नवम्बर, 2021 से 30 नवम्बर, 2021 के मध्य।**
2. **द्वितीय भ्रमण** प्राप्त दावे/आपत्तियों का निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के द्वारा निस्तारण के समय अर्थात **दिनांक 01 दिसम्बर, 2021 से 20 दिसम्बर, 2021 के मध्य।**
3. **तृतीय भ्रमण** बी.एल.ओ. के द्वारा निर्वाचक नामावली के सत्यापन, अनुपूरक सूचियों के मुद्रण तथा अन्तिम प्रकाशन के समय अर्थात **दिनांक 20 दिसम्बर, 2021 से 05 जनवरी, 2022 के मध्य।**

7- <u>Age Cohortwise Draft Electors Details:-</u>

State Population (in numbers projected to year of current revision) [X]	**11544273**
State Population of 18+ only (in numbers projected to year of current revision) [Y]	**8138147**

Name of District			Age Cohort	Projected Census Population in age cohort (Projected upto the year of current revision)			%age of (2) to 'X' i.e. total Population as per census			Electors as per currently proposed FINAL Electoral roll w.r.t. 1.1.2021 as qualifying date			%age of (4) to 'X' i.e. total population as per voter roll			%age of (4) to 'Y' i.e. registered voters vs eligible voters		
				M	**F**	**T**	**M**	**F**	**T**	**M**	**F**	**T**	**M**	**F**	**T**	M	**F**	**T**
			1	**2**			**3**			**4**			**5**			**6**		
Uttarakhand			**18-19**	210616	188596	**399212**	3.56	3.35	**3.46**	27946	18819	**46765**	0.47	0.33	**0.41**	13.27	9.98	11.71
X	**T**	**11544273**	**20-29**	1116495	1006059	**2122554**	18.89	17.86	**18.39**	872155	718673	**1590828**	14.76	12.76	**13.78**	78.12	71.43	74.95
	M	**5909991**	**30-39**	865627	871993	**1737620**	14.65	15.48	**15.05**	1173226	1020575	**2193801**	19.85	18.11	**19.00**	135.53	117.04	126.25
	F	**5634282**	**40-49**	644801	656395	**1301196**	10.91	11.65	**11.27**	821883	770192	**1592075**	13.91	13.67	**13.79**	127.46	117.34	122.35
			50-59	511409	502849	**1014258**	8.65	8.92	**8.79**	567914	554726	**1122640**	9.61	9.85	**9.72**	111.05	110.32	110.69
Y	**T**	**8138148**	**60-69**	339006	345516	**684522**	5.74	6.13	**5.93**	360180	368514	**728694**	6.09	6.54	**6.31**	106.25	106.66	106.45
	M	**4119795**	**70-79**	261611	266001	**527612**	4.43	4.72	**4.57**	192177	213907	**406084**	3.25	3.80	**3.52**	73.46	80.42	76.97
	F	**4018353**	**80+**	170230	180944	**351174**	2.88	3.21	**3.04**	71537	93576	**165113**	1.21	1.66	**1.43**	42.02	51.72	147.02
	State otal			**4119795**	**4018353**	**8138148**	**69.71**	**71.32**	**70.50**	**4087018**	**3758982**	**7846000**	**69.15**	**66.72**	**67.96**	**99.20**	**93.55**	**96.41**

GAP			
Age	Male	Female	Total
18-19	182670	169777	352447
20-29	244340	287386	531726
30-39	-307599	-148582	-456181
40-49	-177082	-113797	-290879
50-59	-56505	-51877	-108382
60-69	-21174	-22998	-44172
70-79	69434	52094	121528
80+	98693	87368	186061
Total	**32777**	**259371**	**292148**

✓ 2011 की जनगणना के आंकड़ों को जनवरी, 2022 तक के Projection के आधार पर **18+ की कुल जनसंख्या–81,38,353 अनुमानित** है, जबकि 01 जनवरी, 2022 की अर्हता तिथि के आधार पर उक्त जनसंख्या के सापेक्ष **78.46** लाख नागरिक ही निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हैं। यद्यपि कुछ आयुवर्ग में पंजीकृत निर्वाचकों की संख्या उस आयुवर्ग की अनुमानित जनसंख्या से अधिक है। फिर भी राज्य में 18–19 आयुवर्ग की कुल **3.99 लाख** जनसंख्या के सापेक्ष **3.52 लाख युवाओं** को निर्वाचक के रूप में पंजीकृत किए जाने की सबसे बड़ी चुनौती है। जिसके लिए राजनैतिक दलों एवं मीडिया का विशेष सहयोग निवेदित है।

8— विधान सभा निर्वाचक नामावली के दिनांक 26 नवम्बर, 2020 के पश्चात (गत आलेख्य प्रकाशन से पूर्व) दिनांक 12 अक्टूबर, 2021 तक विभिन्न कारणों से हटाए गए निर्वाचकों का विवरणः—

जनपद का नाम	पुरूष	महिला	अन्य	योग
उत्तरकाशी	2320	3218	6	5544
चमोली	5695	7413	11	13119
रूद्रप्रयाग	2224	2972	1	5197
टिहरी गढ़वाल	6551	8035	1	14587
देहरादून	10698	10201	4	20903
हरिद्वार	14727	16008	6	30741
पौड़ी गढ़वाल	7008	6821	0	13829
पिथौरागढ़	5258	5596	0	10854
बागेश्वर	3181	3874	0	7055
अल्मोड़ा	7297	8917	0	16214
चम्पावत	2369	2830	0	5199
नैनीताल	4584	4721	1	9306
ऊधम सिंह नगर	5768	6161	1	11930
योग—	77680	86767	31	164478

दिनांक 26 नवम्बर, 2020 से 12 अक्टूबर, 2021 तक (विगत आलेख्य प्रकाशन से अंतिम प्रकाश नतक एवं तत्पश्चात निरन्तर अद्यतन प्रक्रिया के अन्तर्गत) विभिन्न कारणों से हटाए गए कुल—1,64,478 निर्वाचकों का विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार/मतदेय स्थलवार पूर्ण विवरण पीडीएफ फाईल में समस्त जिला निर्वाचन कार्यालयों, ERO/AERO कार्यालयों सहित, निर्वाचन विभाग की विभागीय वेबसाईट

https://ceo.uk.gov.in

पर सर्वसाधारण की जानकारी/अवलोकन के लिए उपलब्ध है।

- ✓ **किसी भी नागरिक के पास केवल मतदाता फोटोपहचान—पत्र उपलब्ध होना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि प्रत्येक नागरिक का नाम निर्वाचक नामावली में भी पंजीकृत होना चाहिए।**
- ✓ **आलेख्य निर्वाचक नामावली में अपना तथा अपने परिवार के सदस्यों का नाम अवश्य जाँच लें।**

- ✓ कृपया सभी नागरिकों से यह भी अनुरोध है कि, उक्त **Deletion** List को भी चैक कर यह पुष्टि कर लें कि कहीं उनका या उनके परिवार के किसी सदस्य का नाम विलोपित तो नहीं हुआ है। यदि त्रुटिवश ऐसा हुआ है तो वह नाम सम्मिलित करवाने के लिए फार्म—6 भरने का कष्ट करें।

आयोग के निर्देशानुसार वर्तमान में सभी 11,647 मतदेय स्थलों पर बी.एल.ओ. नियुक्त है, सम्बन्धित बी.एल.ओ. के साथ समन्वय स्थापित किये जाने हेतु मतदेय स्थलों पर राजनैतिक दलों द्वारा बी.एल.ए. नियुक्त किये जाने अपेक्षित है।

9— भारत निर्वाचन आयोग के नवीनत्तम दिशा—निर्देशों के अनुसार, निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 2019 और आयोग के दिनांक 16 जुलाई, 2020 के निर्णय के साथ पठित निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 2020 के अनुसरण में अनुपस्थित मतदाताओं (Absentee Voters) की निम्नलिखित श्रेणियों को डाक मतपत्र (Postal Ballot) के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है :—

(i)– वरिष्ठ नागरिक (80 वर्ष से अधिक आयु के),
(ii)–निर्वाचक नामावली में फ्लैग्ड (Flagged) किए गए दिव्यांगजन, और
(iii)–कोविड–19 के संदिग्ध एवं प्रभावित व्यक्ति।

9.1– उत्तराखण्ड राज्य में आलेख्य निर्वाचक नामावली के अनुसार 80+ आयु के तथा PwD पंजीकृत निर्वाचकों का विवरण निम्न प्रकार है:–

जनपद का नाम	आलेख्य नामावली के अनुसार 80+ निर्वाचकों की कुल संख्या				आलेख्य नामावली के अनुसार दिव्यांग निर्वाचकों की कुल संख्या			
	पुरूष	महिला	अन्य	योग	पुरूष	महिला	अन्य	योग
उत्तरकाशी	2027	2653	0	4680	1992	1247	0	3239
चमोली	2282	3573	0	5855	1897	922	0	2819
रूद्रप्रयाग	1599	2846	0	4445	1242	628	0	1870
टिहरी गढ़वाल	4825	8467	0	13292	2883	1700	0	4583
देहरादून	15521	14098	0	29619	3386	2024	0	5410
हरिद्वार	10844	11517	0	22361	5848	3119	1	8968
पौड़ी गढ़वाल	7253	12441	0	19694	2623	1154	0	3777
पिथौरागढ़	3692	5700	0	9392	1984	952	0	2936
बागेश्वर	2077	3243	0	5320	1611	844	0	2455
अल्मोड़ा	4916	9696	0	14612	2712	1356	0	4068
चम्पावत	1429	2215	0	3644	839	434	0	1273
नैनीताल	5687	6036	0	11723	2562	1541	0	4103
ऊधम सिंह नगर	9385	11091	0	20476	5253	3146	0	8399
योग–	**71,537**	**93,576**	**0**	**1,65,113**	**34832**	**19067**	**1**	**53900**

9.2– डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के इच्छुक उक्त श्रेणी के किसी भी मतदाता को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निगं आफिसर को सभी आवश्यक विवरण उपलब्ध कराते हुए, **प्रपत्र 12–घ (12D)** में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। **डाक मतपत्र पत्र की सुविधा की अपेक्षा किए जाने पर निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र संबंधित निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा के दौरान अधिसूचना की तारीख के पाँच दिनों के भीतर आर.ओ. तक पहुँच जाना चाहिए।**

9.3– यदि निर्वाचन के समय कोई भी निर्वाचक **कोविड–19 संक्रमण के कारण राज्य के किसी अस्पताल में भर्ती है, अथवा होम/संस्थागत क्वारंटीन में है** और जिसके कारण चिकित्सकीय सलाह के अनुसार मतदेय स्थल में व्यक्तिगत रूप से मत डालने की स्थिति में नहीं है, और यदि ऐसा निर्वाचक डाक मतपत्र जारी करने के लिए अनुरोध करता है, तो आवेदन की प्रमाणिकता के बारे में संतुष्ट हो जाने पर संबंधित आर.ओ. ऐसे निर्वाचक को डाक मतपत्र जारी करेगा। **आवेदन प्रारूप–12घ के साथ सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी**

प्रमाण–पत्र एवं निर्देश की प्रति संलग्न होनी चाहिए जिसमें यह स्पष्ट किया गया हो कि, आवेदक कोविड–19 संक्रमण के कारण राज्य में अस्पताल में भर्ती है, या राज्य के अन्दर होम/संस्थागत क्वारंटीन में है।

9.4–रिटर्निंग आफिसर द्वारा कार्यवाही :–

(3.1)–बी.एल.ओ. द्वारा प्रारूप–12घ का वितरणः–

(a)–बी.एल.ओ. मतदेय स्थल क्षेत्र में आर.ओ. द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार (AVSC), (AVPD) और (AVCO) श्रेणी के **अनुपस्थित मतदाताओं के घर–घर जायेंगें और संबंधित निर्वाचक को प्रारूप–12घ उपलब्ध कराते हुए उनसे इसकी पावती प्राप्त करेंगें।**

(b)–बी.एल.ओ. अपने मतदेय स्थल के ऐसे निर्वाचकों से प्राप्त **सभी पावतियों को आर.ओ. के पास जमा करेंगें।**

(c)–यदि कोई निर्वाचक उपलब्ध नहीं है, तो वहां बी.एल.ओ. अपना सम्पर्क विवरण उपलब्ध कराते हुए **अधिसूचना से पाँच दिनों के भीतर पुनः जाकर पावतियां एकत्र करेगा।**

(d)–निर्वाचक डाक मतपत्र के लिए अपना विकल्प दे सकते हैं, अथवा नहीं भी दे सकते हैं। यदि कोई निर्वाचक डाक मतपत्र के लिए अपना विकल्प देता है तो बी.एल.ओ. **अधिसूचना से पाँच दिन के भीतर संबंधित निर्वाचक के घर से प्रारूप–12घ में भरा गया आवेदन पत्र एकत्रित करेगा और उसे/उन्हें आर.ओ. के पास जमा करेगा।**

(e)– सेक्टर ऑफिसर द्वारा आर.ओ. के समग्र पर्यवेक्षण के अधीन बी.एल.ओ. द्वारा प्रारूप–12घ के वितरण और संग्रहण की प्रक्रिया का पर्यवेक्षण किया जायेगा।

9.5– प्रारूप–12घ में आवेदन प्राप्त होने पर आर.ओ. उक्त तीन श्रेणियों यथा AVSC, AVPD और AVCO के उन सभी मतदाताओं की, **जिनके आवेदन पत्र समय पर प्राप्त हो गए हैं और वह पूरी तरह से ठीक है उनकी एक सूची तैयार करेगा।**

9.6– आर.ओ. निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में ऐसे निर्वाचकों के नाम के सम्मुख **यह दर्शाए जाने के लिए पी.बी. (PB) अंकित करेगा कि, उन्हें डाक मतपत्र जारी कर दिया गया है, परन्तु उसमें वह उन्हें जारी किए गए मतपत्र की क्रम संख्या अंकित नहीं करेगा।**

9.7– आर.ओ. यह भी सुनिश्चित करेंगें कि, ऐसे निर्वाचक जिन्हें डाक मतपत्र जारी कर दिए गए हैं, वह मतदेय स्थल पर मतदान करने हेतु अनुमन्य नहीं होंगे।

9.8– उक्त के अतिरिक्त आर.ओ. उन सभी दिव्यांगजनों और 80+ आयु के निर्वाचकों की सूची हार्ड कॉपी में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को भी उपलब्ध करायेंगें, जिनके आवेदन डाक मतपत्र की सुविधा के लिए प्रारूप–12घ में उनके द्वारा अनुमोदित किए गए हों।